



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28112025-268055
CG-DL-E-28112025-268055

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5193]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 24, 2025/अग्रहायण 3, 1947

No. 5193]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 24, 2025/AGRAHAYANA 3, 1947

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2025

का.आ. 5369(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड

(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट 0 किमी से 65.066 किमी के Ring Road तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-Ring Road तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	एसएलएओ प्रयागराज	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या Ring Road के कि.मी 0 से कि.मी 65.066 तक	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	सोरांव	1 कांजिआ
						2 सराय जादो
						3 माधोपुर मलाक चतुरी
						4 लखनपुर कान्दू
						5 शहावपुर
						6 बारी
						7 सराई फत्ते
						8 मंधेशा
						9 फरीदपुर जेड
					सदर	1 मैनापुर

[फा. सं. 11015/IRR/PHASE-II/DPR/PRYJ/2025-26]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2025

S.O. 5369(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 0 to Km. 65.066 of the Ring Road for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of UTTAR PRADESH

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. Ring Road in the State of UTTAR PRADESH.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	SLAO Prayagraj	Ring Road KM 0 TO	UTTAR PRADESH	ALLAHABAD	Soraon	1 Kanjia
						2 Sarai Jado
						3 Madhopur Malak

		KM 65.066						Chaturi
							4	Lakhanpur Kandu
							5	Shahabpur
							6	Bari
							7	Sarai Fattey
							8	Mandhesha
							9	Faridpur Jed
						Sadar	1	Mainapur

[F. No. 11015/IRR/PHASE-II/DPR/PRYJ/2025-26]
SHAIKH AMINKHAN, Director